

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 6078/आभूअ/सं 1/2015

रायपुर, दिनांक 20-7-2015

प्रति,

कलेक्टर, (समस्त)
जिला -
छत्तीसगढ़,

विषय :- भुईयाँ साफ्टवेयर में कृषि सांख्यिकी संबंधी समस्त प्रविष्टियां अद्यतन करने बावत्।

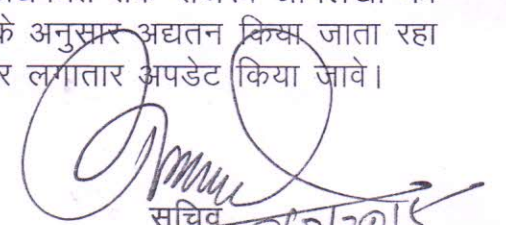
उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि पटवारी द्वारा संधारित खसरा, बी-1 एवं नक्शे वर्तमान में तहसील कार्यालयों में जमा करा लिया गया है तथा खसरा एवं बी-1 की कम्प्यूटरीकृत प्रतियों की बुकलेट तैयार कर शासकीय कार्य हेतु पटवारियों को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। स्पष्ट है कि भविष्य में हस्तलिखित खसरे एवं बी-1 प्रचलन में नहीं रहेंगे, केवल कम्प्यूटरीकृत खसरे एवं बी-1 का ही उपयोग विभिन्न योजनाओं हेतु किया जाएगा।

विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं जैसे कृषि संगणना, लघु सिंचाई संगणना, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना, टी.आर.एस., आई.सी.एस., धान खरीदी आदि कार्यों हेतु पटवारी द्वारा तैयार हस्तलिखित खसरे में की गई प्रविष्टि को गिरदावरी एवं फसल कटाई प्रयोगों के लिए आधार बनाया जाता रहा है परन्तु हस्तलिखित खसरे, बी-1 बंद होने से उपरोक्त सभी कार्य कम्प्यूटरीकृत भू अभिलेखों के आधार पर किये जाएंगे।

अतः कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेखों की प्रविष्टियों को शुद्ध एवं अद्यतन किया जाना आवश्यक हो गया है, जिससे कि ये कम्प्यूटरीकृत अभिलेख हस्तलिखित अभिलेखों के विकल्प के रूप में प्रयुक्त हो सकें। समीक्षा में पाया गया है, कि अभी भी कम्प्यूटरीकृत खसरे में की गई कतिपय प्रविष्टियां अपूर्ण हैं। विशेषकर खसरा फार्म पी-2 के कॉलम नं. 5 से 11 से संबंधित प्रविष्टियां तो की ही नहीं गई है। इस संबंध में पूर्व में भी निर्देशित किया जा चुका है कि भुईयाँ साफ्टवेयर के डाटा का मिलान मूल अभिलेखों से किया जाकर आवश्यक संशोधन कर लिया जावे।

भू-अभिलेख नियमावली भाग 1 एवं 2 के अनुसार खरीफ गिरदावरी का कार्य हल्का पटवारी स्तर पर 30 सितम्बर तक पूर्ण कराने का प्रावधान है। अभी तक हल्का पटवारी हस्तलिखित खसरे में गिरदावरी का वर्णन अंकित करते रहे हैं, यही कार्य अब भुईयाँ साफ्टवेयर में किया जाना है।

अतः कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए गिरदावरी कार्य हेतु पटवारियों को भुईयाँ साफ्टवेयर के माध्यम से खसरे का प्रिंट प्रदाय करें तथा खरीफ गिरदावरी के मैदानी स्तर का कार्य समय-सीमा में पूर्ण कर गिरदावरी एवं फसल का विवरण भुईयाँ साफ्टवेयर में अंकित करने का कार्य 30 सितम्बर तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। जिस प्रकार अद्यपर्यंत तक राजस्व अभिलेखों को भू-अभिलेख नियमावली एवं भू-राजस्व संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अद्यतन किया जाता रहा है; भविष्य में भी भुईयाँ साफ्टवेयर को उसी प्रकार समय-समय पर लगातार अपडेट किया जावे।


सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग